राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)(21)नियम/डीएलबी/23/3676 दिनांकः 15/3/24

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)(19)नियम/डीएलबी/12/2330 दिनांक 03.03.2023 को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिका के सदस्यों को सम्बधित निकाय स्वयं की अर्जित आय में से एतद् द्वारा निम्नानुसार मासिक भत्तों का भुगतान दिनांक 01.04.2024 से करने की स्वीकृति प्रदान करती है:-

जनप्रतिनिधि के पद का नाम	टेलीफोन भत्ता रूपये/प्रतिमाह	स्टेशनरी भत्ता रूपये/प्रतिमाह	वाहन भत्ता रूपये/प्रतिमाह	बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक
पार्षद नगर निगम	2070	1035	2070	911 प्रति बैठक अधिकतम 2732 प्रतिमाह
पार्षद नगर परिषद	1380	828	1380	759 प्रति बैठक अधिकतम 2277 प्रतिमाह
पार्षद नगर पालिका	828	690	1035	607 प्रति बैठक अधिकतम 1822 प्रतिमाह

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(21)नियम/डीएलबी/23/3677-4269 दिनांकः 15/3/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. विशिष्ठ सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
4. निजी सचिव, संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
7. अधीक्षक, लेखन एंव मुद्रण सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
8. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. समस्त अधिकारी, निदेशालय।
10. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली ।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी